न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 32/2020

डिम्पल शर्मा पत्नी मनीष कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी खादी भण्डार वाली गली बीच का पाडा नगर पालिका नदबई तहसील जिला भरतपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) नगर पालिका क्षेत्र नदबई जिला भरतपुर।

. ..... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक 11.11.2020
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
नदबई।

निर्णय **दिंनांक : 27.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई जिला भरतपुर दिनांक 11.11.2020 के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट वार्ड न0 05 कस्बा नदबई में अपने पति व ससुरालजनों के साथ निवास करती है। अपीलान्ट द्वारा अपना नाम वार्ड सं0 05 कस्बा नदबई की मतदाता सूची में नाम जोडने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर बीएलओ द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कहना कि अपीलान्ट के पति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट के पति का नाम वार्ड संख्या 05 कस्बा नदबई के भाग संख्या 01 के क्रमांक 60 पर दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र के साथ पति का राशन कार्ड व स्वंय का आधार कार्ड तथा शादी का कार्ड पेश किया है। अपीलान्ट का आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0), नदबई द्वारा बीएलओ की गलत रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0), नदबई के आदेश दिनांक 11.11.2020 को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम वार्ड संख्या 05 कस्बा नदबई की मतदाता सूची में जोडने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:53:37 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई से प्राप्त टिप्पणी/जबाव पर गौर किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई द्वारा अपने जबाव में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा नाम जुडवाने हेतु प्रगणक के समक्ष दिनांक 01.11.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रगणक ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट को कस्बा नदबई में न तो निवास करना बताया गया है और न ही अपीलान्ट के पति का नाम वोटरलिस्ट में अंकित होना जाहिर किया है, इसी आधार पर अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार किया गया है ।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.11.2020 को प्रगणक को प्रस्तुत प्ररूप 03 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के दावा आवेदन पर प्रगणक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि **आवेदक के पति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और न ही इनका राशन कार्ड है। प्रार्थी यहां निवास नहीं करता है, नाम जोड़ना अनुचित है।** अपीलान्ट द्वारा कस्बा नदबई में निवास करने का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ई.आर.ओ. द्वारा प्रगणक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:53:37 IST
Reason: SelfAttested